न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 36/2017

प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन भरतपुर।

सायल

बनाम

1. जगदेव प्रजापत पुत्र श्री नन्नूराम प्रजापत जाति कुम्हार एफबीओ व मालिक फर्म जगदेव किराना एण्ड परचून स्टोर संस्कार डिपार्टमेन्टल स्टोर के पास गोलबाग रोड भरतपुर।
2. संजय मंगल पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता एफीओ व मालिक फर्म संजय एजेन्सीज सुभाष पार्क के पास जामा मस्जिद भरतपुर निवासी मोरी चारबाग भरतपुर।
3. श्रीनिवास खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन खण्डेलवाल नोमिनी फर्म एस0एन0 मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 22 ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर निवासी मार्फत ब्रजमोहन गोयल आर्य समाज रोड खैरापति मौहल्ला भरतपुर।
4. फर्म एस0एन0 मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 अजरोली रोड सांसी जिला हाथरस उ0प्र0 204216 जरिये नोमिनी।

गैर सायल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार वकील गैर सायल।

निर्णय

दिनांक : 6.12.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस. एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 6.3.2017 को 1.00 पी0एम0 पर गैरसायल की दुकान जगदेव किराना एण्ड परचून स्टोर गोलबाग रोड भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर

सायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु खाद्य वस्तु घी (माधव) 1 लीटर पैक के 7 पैकिट एक ही बैच के दुकान की रैक में रखे हुये पाये गये। जिसमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–153/एक्ट/2017/174 दिनांक 25.4.2017 द्वारा उक्त खाद्य वस्तु घी (माधव) का नमूना अमानक स्तर एवं मिथ्याछाप पकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अमानक (SusStandard) / मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु घी (माधव) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–153/एक्ट/2017/174 दिनांक 25.4.2017 द्वारा अमानक (SubStandard) / मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायलान द्वारा अमानक (SubStandard)/मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51–52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 25,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000071 दिनांक 6.12.2017 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 6.12.2017 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official